Fullerton India

व्यक्तिगत/व्यवसाय ऋण

ऋण करार

यह ऋण करार (करार) ____________________ को _____ पर ________________, 20____________हुआ है ☒

मध्य में

ऋणी, का विवरण विशेष रूप से ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित किया गया है जो इस समझौते के साथ संलग्न है और, जहाँ भी संदर्भ की आवश्यकता हो, उसमें एक सह ऋणी का नाम दिया गया है और सम्मिलित रूप से (यदि वहाँ एक से अधिक ऋणी हैं जिन्हें ऋणी कहा गया है जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल, शामिल करने के लिए समझा जाएगा, जहां ऋणी एक व्यक्ति है, उसके वारिस हैं, निष्पादक और प्रशासक हैं, जहाँ ऋणी एक एकमात्र औचित्य फर्म हैं, व्यक्ति जिसका नाम एकमात्र मालिक के रूप में प्रकट होता है और उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि और अनुमति प्राप्त लोग शामिल हैं; जहाँ ऋणी एक भागीदारी फर्म है, भागीदार या दी हुई भागीदारी फर्म के भागीदार, उनके उत्तरजीवी और वारिस, भागीदारों के निष्पादक और प्रशासक; जहाँ ऋणी एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है, उस हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य और उनके संबंधित वारिस, निष्पादक और प्रशासक और नियुक्त व्यक्ति; जहाँ ऋणी एक कंपनी है, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्र व्यक्ति; जहाँ ऋणी गैर संयुक्त निकाय है, ऐसे निकाय के सभी सदस्य और उनके संबंधित उत्तराधिकारी; जहाँ ऋणी एक संस्था है, तो प्रबंध निकाय और प्रबंध निकाय के सदस्यों से संबंधित उत्तराधिकारी और निर्वाचित नए सदस्य को, नियुक्त या सहयोजित, जहां ऋणी एक संगठन है, संरक्षक और संगठन के उत्तराधिकारी और जहाँ ऋणी एक लिमिटड देयता भागीदारी है, तो भागीदार या लिमिटड देयता भागीदारी, भागीदार और वारिस, भागीदारों के निष्पादक और प्रशासक और फर्म के उत्तराधिकारी और उनके नियुक्त व्यक्ति) एक भाग हैं,

और

फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमअल्ली हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई–600095, तमिलनाडु में है, और अन्य बातों के साथ एक शाखा कार्यालय ऋण सारांश अनुसूची में दिया गया है और उल्लेखित अन्य भाग में बाद में FICCL (जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके लिए समझा जाएगा जिनमें उत्तराधिकारी और नियुक्त शामिल हैं) कहा जाता है।

किसी भी लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे और एक संख्या के संदर्भ में बहुवचन संख्या के संदर्भ और इसके संदर्भ के विपरीत शामिल होंगे। शब्द करार का मतलब और इसमें ऋण करार, ऋण सारांश अनुसूचियां, यहाँ संलग्न खर्चो की सूचि और कोई भी पूरक अनुसूचियां, चुकौती अनुसूचि शामिल होंगी जिनमें अभी संलग्न अनुबंध– या सलंग्न अनुबंध जो इस करार के भाग के रूप में अब या बाद में जुता है, समय समय पर कोई भी अन्य अनुबंध, प्रमाण या अन्य अनुशेष अब या बाद में इस समझौते में जो जाते हैं।

जबकि, ऋणी FICCL को ऋणी को ऋण सारांश अनुसूची में दिए गए उद्देश्य के लिए अग्रिम में ऋण देने का अनुरोध करता है। ऋणी द्वारा दी गई प्रस्तुती और प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर होना, FICCL ऋणी को यहां दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।

अब एतद्वारा पार्टियों के बीच निम्न अनुसार सहमती व्यक्त की गई है:–

1. ऋण संवितरण, ब्याज और अदायगी

1.1 यहाँ निहित नियम एवं शर्तो के अधीन, ऋणी FICCL से ऋण लेने के लिए सहमत है और FICCL यहाँ ऋण सारांश अनुसूचित में निर्धारित राशि (इस राशि इस के बाद ऋण कहा जाएगा) ऋणी को उधार देने के लिए सहमत है। ऋण संवितरण आंशिक रो में या पूर्ण रूप में या FICCL द्वारा निर्धारित ढंग में किया जा सकता है। ऋण किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे ऋणी द्वारा मनोनीत किया जाता है; बशर्ते यदि FICCL द्वारा उक्त मनोनीत व्यक्ति को ऋण संवितरण किया जाता है, तो यह संवितरण ऋण के संबंध में ऋणी की उसके उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और मनोनीत व्यक्ति को किए गए ऐसे ऋण संवितरण ऋण अनुमोदित और ऋणी द्वारा लिया गया समझा जाएगा।

1.2 ऋणी ऋण राशि पर ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। ऋण पर ब्याज की गणना बकाया मूल राशि पर मासिक आधार पर दैनिक आधार पर की जाएगी। ऋण पर ब्याज करार की तिथि से लगना शुरु हो जाएगा भले ही ऋणी या बैंक द्वारा जारी करने, ट्रांजिट, संग्रहन, चेक प्राप्त होने और/या किसी अन्य कारण देरी हो जाए।

ऋणी ☒ सह–ऋणी ☒ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

1.3 ऋणी, ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित ढंग और नियत तिथि पर ब्याज के साथ–साथ ऋण राशि को मासिक किश्तों में चुकाएगा।

1.4 ऋणी ऋण सारांश अनुसूची, खर्चा सूचि और FICCL की वेबसाइट (http://www.fullertonindia.com/about-us/loan-charges.aspx), के निर्दिष्ट अनुसार फीस और खर्चे सहन और FICCL को भुगतान करेगा, और जिसमें शामिल होगा, लेकिन प्रलेखन और प्रोसेसिंग शुल्क (गैर वापसीयोग्य), प्री–ईएमआई ब्याज (यदि लागू हो), और इस तरह के अन्य शुल्क जैसे कि चेक बाउंस शुल्क, चेक/ईसीएस स्वैप शुल्क, अतिरिक्त ब्याज, पूर्व भुगतान शुल्क और FICCL की आंतरिक नीतियों के अनुसार समय–समय पर लागू कोई भी फ़ीस या शुल्क, सांविधिक शुल्क या अन्यथा, ऋण के संबंध में देय तक ही सीमित नहीं होगा। FICCL ऋणी को कोई भी सूचना दिए बिना ऊपरी शुल्क/खर्चे में संशोधन करने का हकदार होगा। उक्त खर्चे के अलावा ऋणी, FICCL को भुगतान और प्रतिपूर्ति, टैक्स, सर्विस टैक्स, शुल्क (स्टांप शुल्क सहित), और करों (सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी भी विवरण के रूप समय–समय पर लगाया जा सकता है) से संबंधित सभी खर्चे वहन करेगा और सभी अन्य लागत और खर्च संबंध में (क) ऋण के आवेदन और अनुदान और चुकौती के लिए (ख) ब्याज के साथ ऋण की वसूली और प्राप्ति, (ग) प्रवर्तन कार्यवाही, यदि कोई हो।

1.5 यदि ऋणी FICCL को ऋण के तहत राशि से अधिक राशि में माफ़/भुगतान करता है, तो FICCL ऐसी अधिक राशि के रिफंड के लिए FICCL द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क चार्ज करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.6 प्री–ईएमआई ब्याज, अग्रिम किश्त, बीमा प्रीमियम, प्रलेखन शुल्क, लेन–देन/प्रोसेसिंग शुल्क और/या ऋण के तहत या ऋण से संबंधित अन्य शुल्क को ऋण से काट लिया जाएगा और इस तरह की फ़ीस और/या शुल्क की कटौती के बाद ही ऋण की शुद्ध राशि ऋणी को वितरित की जाएगी।

1.7 ऋण मांगे जाने पर झट से और तदनुसार, चुकौती अनुसूची के होते हुए भी प्रतिदेय होगा, FICCL ऋण के संबंध में ब्याज सहित सारी बकाया राशि के साथ अन्य बकाए का भुगतान मांगने का अधिकार होगा।

1.8 ऋणी, ऋण की अदायगी के लिए पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)/ईसीएस जारी करने के लिए सहमत हैं। ऋणी मानता है कि पुनर्भुगतान का ईसीएस मोड FICCL के पक्ष में जारी किए पीडीसी के उपर है।

1.9 ऋणी पुष्टि करता है कि वह इस ऋण का उपयोग आवेदन फॉर्म में निर्दिष्ट उद्देश्य के आलावा किसी भी अन्य उद्देश्य या किसी भी सट्टे, अनुचित या अवैध या गैरकानूनी उद्देश्यों/गतिविधियों के लिए नहीं करेगा।

1.10 यह एतद्वारा सहमती हुई है कि दो या दो से अधिक ऋणियों के मामले में इस करार के अधीन ऋण चुकौती की ऋणी का उत्तरदायित्व संयुक्त अथवा पृथक अथवा समव्यापी होगा।

1.11 इस करार के तहत या अनुसार FICCL को ऋणी द्वारा किए गए सभी भुगतान किसी भी कटौती या किसी भी कर से स्वतंत्र होगे, ताकि FICCL इस तरह की कटौती करने के बाद, FICCL को इतनी राशी प्राप्त हो और बनाई जाए (इस तरह की कटौती के बिना किसी भी देनदारी के बिना) जो उसे इस तरह की कटौती किए बिना प्राप्त होती हो। सेवा कर और अन्य लागू कर या अन्य कानूनी लेवी, यदि कोई हों, तो ऋण पर लगेंगी और उसके द्वारा देय होंगी।

1.12 यदि ऋणी इसके अंतर्गत किसी भी वजह से राशि के भुगतान में चूक करता है, तो ऋणी ऐसी चूक की तारिख से ऋण के अधीन बकाया मूल राशि पर ऋण सारांश अनुसूची, या FICCL द्वारा समय समय लिखित रुप में अनुसूचित आधार अवधि के अनुसार तब तक अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगा जब तक वह बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देता। ऋणी द्वारा अतिरिक्त ब्याज का भुगतान इस करार के अन्य दायित्वों से दोषमुक्त नहीं करेगा उक्त में शामिल सबके बावजूद FICCL ऋणी द्वारा की गई किसी भी चूक के मामले में सभी अधिकार सुरक्षित रखता है। अतिरिक्त ब्याज अन्य सभी शुल्कों से अतिरिक्त होगा, जो ऋणी ऋण के संबंध में FICCL को भुगतान करने के लिए उत्त्दायी है।

1.13 ऋणी FICCL को लिखित रूप में FICCL को एक माह पूर्व सूचना देकर किसी भी समय बकाया ब्याज के साथ पूरे ऋण का पूर्व भुगतान कर सकता है। यदि ऋणी पूर्व भुगतान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, तो FICCL ऋण सारांश अनुसूची में दी गई दर से पूर्व भुगतान शुल्क लेने का हकदार होगा। ऋण के लिए आंशिक पूर्वभुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.14 ऋणी को किश्तों का अग्रिम भुगतान करने का भी अधिकार होगा लेकिन FICCL अग्रिम में भुगतान की गई किश्तों पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1.15 ऋणी मानता है और पुष्टि करता है कि वह जनता है और स्वीकार करता है कि सारी फीस, शुल्क आदि ऋणी द्वारा ऋणदाता को आवेदन के समय पर भुगतान किए जाएंगे और/या ऋण से संबंधित दस्तावेज की एक बार लागत और/या खर्च आते हैं या ऋणदाता द्वारा खर्च किया है लेकिन ऋण के संबंध में सोर्सिंग, सत्यापन और कानूनी खर्च तक सीमित नहीं है।

1.16 इस खंड संख्या 1 के अधीन या इस समझौता में किसी भी अन्य खंड के अधीन देययोग्य कोई भी शुल्क FICCL द्वारा अपने विवेकाधिकार पर माफ किया जा सकता है और FICCL का निर्णय अंतिम होगा और ऋणी द्वारा किसी भी सहारे के बिना किया जाएगा।

2. चूक की घटनाएँ और परिणाम

2.1 निम्न को एक चूक माना जाएगा यदि निम्न में से कुछ भी होता है: (a) ऋणी इस करार की किसी भी नियम या श्र की उल्लंघना करता है; या (b) ऋणी नियत तिथि पर या पहले किसी भी भुगतान/अदायगी करने में विफल रहता है; या (c) ऋणी FICCL या अन्य बैंक या वित्तीय संस्था के साथ कीसी भी अन्य करार के अधीन कोई चूक करता है; या (d) यदि पाया जाता है कि ऋणी ने FICCL को गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं; या (श) ऋणी दिवालिया हो गया है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या यदि ऋणी की संपति या एस्टेट के संबंध में परिसमापक, प्राप्तकर्ता या एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, या यदि ऋणी ने स्वंय को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया है, या यदि ऋणी को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया गया है या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा आदेश के तहत दिवालिया घोषित किया गया है; या (f) ऋणी या ऋणी के निदेशक या कोई भी भागीदार को घोषित व्यापार करने के लिए रोक दिया गया है; या (g) यदि ऋणी की स्थिति या संगठन में कोई बदलाव अता है और ऐसा बदलाव FICCL द्वारा मुख्य्या बदलाव मन गया है; या (h) ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो FICCL की राय में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं या FICCL के हितों को प्रभावित को प्रभावित कर सकती हैं या ऋणी की ऋण चुकौती की समर्थता को प्रभावित कर सकती हैं।

2.2 इसके बाद इनमें से किसी भी समय कोई भी चूक होने, FICCL के पास किसी भी बकाया ऋण राशि को तुरंत प्रभाव से बकाया और प्रदेय घोषित करने का अधिकार होगा और इसके बाद ऋणी बिना किसी और सूचना या किसी भी प्रकार की अन्य कानूनी औपचारिकताओं के साथ नोटिस के करार के नियम एवं शर्तो के अनुसार और/या ऋण के अधीन प्रदेय और बकाया राशि का भुगतान करेगा। ऋणी द्वारा नियत समय में उक्त का भुगतान करने में विफल रहने पर, FICCL अपने विवेकाधिकार पर लागू कानूनों के अधीन उपलब्ध किसी भी उपचार या अधिकार का प्रयोग कर सकती है।

ऋणी ☒ सह–ऋणी ☒ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

3. अन्य नियम एवं शर्तें

3.1 FICCL के पास, FICCL के नियंत्रण में ऋणी की सारी संपत्ति पर अधिकार होगा और ऋण की तरफ से FICCL को देय किसी भी बकाया राशि के लिए निपटान करने और FICCL के बकाया की वसूली करने के लिए ऋणी के सभी खातों को एक करने का अधिकार भी होगा।

3.2 FICCL के पास हर समय और ऋणी को किसी भी पूर्व सूचना के FICCL के हाथों में ऋणी से संबंधित पैसों का निपटान करने या FICCL को किसी भी समय प्रदेय किसी भी राशि के आगे वाले भुगतान या उक्त ऋण के बकाया या किसी भी समय FICCL को प्रदेय की मुकद्दमे के माध्यम से वसूली या उक्त ऋण खाते के अधीन प्रदेय बकाया या ऐसी सभी या कोई प्रतिभूतियां जो बकाया हो सकते हैं या वसूले नहीं गए हैं उनके लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा।

3.3 ऋणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऋण और/या करार के अधीन सभी या कोई भी अधिकार, लाभ या दायित्व निर्धारित या स्थानांतरित नहीं करेगा। FICCL इस करार के तहत किसी भी समय, ऋणी की सहमति या संदर्भ के बिना, उसके अधिकार, लाभ और दायित्व आंशिक रुप में पूर्ण रूप में किसी भी व्यक्ति को बेचने, आवंटित करने, प्रतिभूतिकरण, नोवेट या हस्तांतरण करने का हकदार हो सकता है, जिसका ढंग और नियम एवं शर्तें FICCL निर्धारित कर सकता है। इस तरह की कोई भी बिक्री, आवंटन या हस्तांतरण निर्णायक रूप से ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा।

3.4 ऋणी स्पष्ट रूप से पहचानता है और स्वीकार करता है कि FICCL ऋणी द्वारा प्रस्तुत जानकारी या तथ्य के स्त्यपन के लिए अपनी पसंद की एक या अधिक तृतीय पक्ष नियुक्त करने और/या किसी ऐसे तृतीय पक्ष को FICCL की तरफ से ऋण के तहत सारी बकाया राशि प्राप्त/वसूल करने, रिनिक के घर या कार्यालय में जाने, बकाया राशि प्राप्त करने,और सामान्य सभी क़ानूनी क्रियाएं करने के लिए आवश्यक कदम/कारवाई करने के लिए अधिकृत करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा,जिन्हें तृतीय पक्ष इस उद्देश के लिए जरूरी समझ सकता है।

3.5 ऋणी को दिए गए/अनुमोदित/दिए जाने वाले/दिए गए ऋण के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में ऋणी, FICCL को उससे संबंधित सारी या एक भाग के रुप में जानकारी या विवरण, ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा से संबंधित डेटा या जानकारी और/या ऋणी के दायित्वों के निर्वहन में किसी भी चूक से संबंधित डेटा या जानकारी और/या किसी भी व्यवसायिक उपक्रम के साथ रीन इतिहास का आदान–प्रदान करने, साझा करने, खुलासा करने के लिए सहमत है, जिनके साथ FICCL का भविष्य में गठबंधन है या हो सकता है जैसे कि बैंक, वित्तीय संस्थान, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और/या अन्य क्रेडिट ब्यूरो, एजेंसियां , सांविधिक निकाय, जिसे भी FICCL उचित समझे। ऋणी मानता है कि क्रेडिट ब्यूरो और कोई भी अन्य एजेंसी जिसे अधिकृत किया गया है, अपने अनुसार FICCL द्वारा प्रकट की गई जानाकरी और डेटा का उपयोग और संसाधित कर सकती है। इसके अलावा, ऋणी इस बात की भी पुष्टि करता है और अनुमति देता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार क्रेडिट ब्यूरो को बैंक/वित्तीय संस्थाओं और/या अन्य क्रेडिट ग्रान्टर या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पाद पर विचार करने के लिए कार्रवाई करने देता है।

3.6 ऋणी एतद्द्वारा FICCL इसके अधिकारियों और एजेंटों को ऋणी से संबंधित जानकारी या ऋणी के ऋण खाते और/या FICCL के साथ व्यापार रिश्ते के लिए सहमति देता है जिसमें कोई भी सुविधा, कोई भी ली गई सिक्यूरिटी, किए गए लेन–देन और शेष स्थिति शामिल हैं पर इन तक ही सीमित नहीं है:

(I) पेशेवर सलाहकार और FICCL के सेवा प्रदाता;

(ii) कोई भी वास्तविक या संभावित समनुदेशिती, नोवाटी, ट्रांस्फ्री, भागीदार या किसी भी करार के तहत FICCL के अधिकार या दायित्व के संबंध में उप भागीदार;

(iii) कोई भी रेटिंग एजेंसी, बीमा कंपनी या FICCL द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता या क्रेडिट सुरक्षा के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रदाता।

4. मध्यस्थता

4.1 इस समझौते के संबंध में उत्पन्न सभी विवाद, मतभेद और/या दावे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा हल किए जाएंगे या किसी वैधानिक संशोधन द्वारा और मध्यस्थता करने के लिए FICCL द्वारा मनोनीत/नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ भेजा जाएगा। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तिय की मौत, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में FICCL एक और व्यक्ति को एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वह निर्णय जिसमें मध्यस्थ का अंतरिम निर्णय भी शामिल होगा वह अंतिम और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।. मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समय–समय पर बता सकता है और इस तरह के तरीके में मध्यस्थता की कार्यवाही का संचालन करेगा, जिसे वह उचित समझता है। ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित स्थान पर मध्यस्थता कार्यवाही का आयोजन किया जाएगा। यहाँ निहित विवाचन खंड के अधीन रहते हुए, ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित स्थान पर सक्षम अदालत को इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या कानूनी कार्यवाही पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। हालांकि कानून अदालत या सक्षम अदालत की ट्रिब्यूनल में कार्यवाही फाइल/करने के ऋणदाता के अधिकारों को सीमित नहीं करेगा।

5. विविध

5.1 यदि इस करार की किसी भी शर्त या प्रावधान को न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो इस करार के बाकी नियम एवं प्रावधान अछूत रहेंगे और पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगे।

5.2 ऋणी घोषणा करता है कि आवेदन फॉर्म में भरे/दिए गए सभी ब्यौरे और विवरण और आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज सच्चे, सही, पूर्ण और हर तरीके से मुकम्मल हैं और कोई मुख्य जानकारी छुपाई नहीं गई है जो ऋण अनुमोदन के निर्णय पर प्रभाव डालेगी।

5.3 इस करार और दस्तावेजों को क्रियान्वित करने वाले ऋणी के अधिकारी कार्यालय में विधिवत और उचित हों और ऐसा निष्पादित करने के लिए अधिकृत हों।

5.4 कि ऋणी के पास इस करार को अम्ल में लाने, निष्पादित करने की पूर्ण शक्ति, क्षमता और अधिकार हैं और इस करार के अनुमोदन, निष्पादन, वितरण और के लिए सारी आवश्यक कार्रवाई (कॉर्पोरेट, वैधानिक या अन्यथा) की गई है।

5.5 इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा हुए किसी भी उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट होने पर FICCL के अधिकार, शक्ति या उपचार करने में कोई देरी या भूल FICCL के अधिकार, शक्ति या उपचार को भंग नहीं करेगी और न ही किसी उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट या सहमती का वेवर होने के लिए अनुमानित नहीं होगा और न ही एक उल्लंघन या डिफ़ॉल्टर को छूट किसी अन्य उल्लंघन या डिफ़ॉल्टर या बाद में होने वाले उल्लंघन या डिफ़ॉल्टर का वेवर नहीं होगा। FICCL के लिए सभी उपचार, या तो इस समझौते के तहत या कानून द्वारा या अन्यथा देना संचयी होगी और न की एकाधिकार।

5.6 बैंकरहित चेकों का निष्क्रियकरण: ऋण संबंध में FICCL के पक्ष में जारी किए गए ऋणी के किसी भी बैंक रहित/अप्रयुक्त चेक और वर्तमान में FICCL कब्जे में चेक को अवधि समाप्त या पूर्व भुगतान के माध्यम से ऋण के बंद होने के बाद और/या अन्यथा बनिया किसी पूर्व सूचना रद्द कर दिया जाएगा और/या नष्ट कर दिया जाएगा।

5.7 इस करार के अनुसरण में ऋणी को FICCL द्वारा आवश्यक किसी नोटिस/पत्र देने के मामले में ऐसा ऋण सारांश अनुसूची में दिए पते पर लिखित में दिया जाएगा। ऋणी द्वारा FICCL को भेजा जाना कोई भी लिखित नोटिस ऋण सारांश अनुसूची में दिए गए शाखा के पते पर पंजीकृत/प्रीपेड डाक से भेजा जाएगा। ऋणी, अपने पते में हुए परिवर्तन के मामले में एक सप्ताह के भीतर लिखित में FICCL को सूचित करेगा।

ऋणी ☒ सह–ऋणी ☒ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

5.8 इस ऋण करार के साथ यह ऋण सारांश अनुसूची इस करार का एक अभिन्न हिस्सा होगी, हालांकि प्रावधान इसमें निर्धारित किए गए हैं।

5.9 ऋणी स्वीकार करता है कि सारा करार ऋणी की उपस्थिति में पूरा किया गया है और ऋणी ने करार के सारे नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। ऋण इस बात को भी स्वीकार करता है कि करार और दस्तावेजों के उक्त नियम एवं शर्तों को ऋणी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऋणी को समझाए गए हैं और ऋणी विभिन्न धाराओं के पूरे अर्थ समझ गया है और इस करार की धारणा की पुष्टि करने और समझने के बाद हस्ताक्षर किए हैं।

5.10 अधिभावी प्रभाव: यह करार और यहां संलग्न या यहां संदर्भित कोई भी अन्य दस्तावेज, यहां उल्लेखित या आकस्मिक सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करता है, और विषय के संबंध में सभी मौखिक वार्ता और पूर्व लेखन, इस समझौते के पहले जारी स्वीकृति पत्र के उन प्रावधानों को छोड़कर, जो अतिरिक्त हैं और पूरक हैं, और इस समझौते के नियमों के साथ टकराव में नहीं हैं। इस करार के नियम, शर्तों और प्रावधानों और किसी भी करार या यहां जुे दस्तावेज या यहां संदर्भित अनुमोदन पत्र के बीच कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में, इस समझौते के नियम, शर्त और प्रावधान प्रबल होंगे।

5.11 ऋणी इससे सहमत हैं कि यह समझौता अंतिम और कानूनी तौर पर उस तारीख और स्थान पर बाध्यकारी होगा जब FICCL का अधिकृत अधिकारी इस समझौता पर हस्ताक्षर करता है।

साक्षी में जिसका, पार्टियों ने समझौते पर उक्त सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति में हस्ताक्षर किए हैं और अनुसूची में वर्णित दिन, महीने और वर्ष अनुसार है।

ऋणी के लिए		
ऋणी का नाम: …………………………………………… प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए) ……………………………………………		☒ …………………………… (हस्ताक्षर)
सह–ऋणी का नाम: …………………………………………… प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए) ……………………………………………		☒ …………………………… (हस्ताक्षर)
फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: ……………………………………………		☒ …………………………… (हस्ताक्षर)

ऋण करार
के लिए
ऋण सारांश अनुसूची

यह ऋण सारांश अनुसूची, दिनांकित ____________________________ ऋण करार का एक अभिन्न हिस्सा है जो ऋणी और फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (ऋण समझौता) के बीच निष्पादित किया गया है और ऋण करार के साथ संयोजन में पा जाएगा।

ऋण सुविधा का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा		विवरण
1	आवेदन संदर्भ सं/ ऋण खाता सं.	:	
2	FICCL शाखा कार्यालय का पता	:	
3	ऋणी और सह–ऋणी का नाम और पता	: : : :	नाम : ____________________ पता : ____________________ नाम : ____________________ पता : ____________________
4	ऋण राशि	:	रूपए ____________________/- (रूपए____________________केवल)
5	ब्याज दर	:	______________% प्रतिवर्ष घटते शेष के आधार पर (स्थायी दर)
6	ऋण की अवधि	:	____________ माह
7	अतितिरिक्त ब्याज (भुगतान में चूक के लिए लागू)	:	मूल ऋण राशि पर प्रति माह बकाया पर ऐसी राशि जो 0.75%(शून्य दशमलव सात पांच प्रतिशत) से अधिक ना हो।
8	प्रलेखन शुल्क/खर्च	:	ऐसी राशि जो ________________/- रूपए से अधिक न हो जिसमें पूर्व–ईएमआई ब्याज/स्टाम्प शुल्क शामिल है।
9	कर और लेवी	:	उक्त या ऋण समझौते में कहीं और दिए सभी शुल्क उन पर असीमित सेवा कर और लेवी लागू सभी करों और सांविधिक प्रभार से अखंडित होंगे।

चुकौती अनुसूची

भुगतान योग्य बराबर मासिक किश्तों की संख्या	पहली किश्त के प्रारंभ होने की तारीख	अंतिम किश्त की नियत तारीख
किश्त संख्या.	प्रत्येक किश्त की नियत तारीख	किश्त की राशि
पहली से _________________ किश्त		रुपए ____________________/-
____________ से ___________ किश्त		रुपए ____________________/-
मध्यस्थता का स्थान और अधिकारक्षेत्र		

ऋणी के लिए	
ऋणी का नाम: .... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए)	.... (हस्ताक्षर)
सह–ऋणी का नाम: .... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए)	.... (हस्ताक्षर)
फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:	.... (हस्ताक्षर)

शुल्क सूचि

1	चेक/नकद प्राप्ति (प्रति संग्रहन)	:	ऐसी राशि जो 300/– रूपए से अधिक ना हो
2	ईसीएस के साथ बाद–दिनांकित चेक के प्रतिस्थापन के लिए स्वैप शुल्क (प्रति इंस्टैंस)	:	ऐसी राशि जो 500/– रूपए से अधिक ना हो
3	ईसीएस के लिए बैंक प्रतिस्थापन के लिए स्वैपींग शुल्क (प्रति इंस्टैंस)	:	ऐसी राशि जो 500/– रूपए से अधिक ना हो
4	ऋण रद्दीकरण शुल्क (पहली किश्त से पहले रद्द किया गया ऋण)	:	ऐसी राशि जो 1000/– रूपए से अधिक ना हो
5	चेक/ईसीएस अनादर शुल्क (प्रति प्रस्तुती चेक/ईसीएस के अनादर)	:	ऐसी राशि जो 30/– रूपए से अधिक ना हो
6	पूर्व भुगतान शुल्क	:	(a) ऋण के लिए किस भी प्रकार के आंशिक पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं होगी (b) यदि ब्याज के साथ सारे ऋण का पूर्व भुगतान की बकाया राशि: • करार तिथि से 0 से 17 माह : पूर्वभुगतान की तिथि से बकाया मूल ऋण राशि का 7%; • करार तिथि से 18 से 23 माह : पूर्वभुगतान की तिथि से बकाया मूल ऋण राशि का 5%; • करार तिथि से 24 से 35 माह : पूर्वभुगतान की तिथि से बकाया मूल ऋण राशि का 3%; या ऐसी अन्य राशि जो समाय समय पर FICCL द्वारा निर्धारित की जा सकती है (c) यदि करार तिथि से 36 माह बाद किए गए पूर्व भुगतान के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होगा
7	रिफंड के लिए प्रसंस्करण शुल्क	:	ऐसी राशि जो 250/– रूपए से अधिक ना हो

ग्राहक का नाम:
.... ☒
(हस्ताक्षर)

ऋणी और सह ऋणी द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए

मांग वचन पत्र

तिथि: ____________________

स्थान: ____________________

मांग पर, मैं/हम .... संयुक्त और पृथक और बिना शर्त फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (FICCL) जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स तीसरी मंजिल, पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पूनमअल्ली हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई–600095, तमिलनाडु है को ..../– रूपए (.. रूपए केवल) की राशि भुगतान करने के लिए वादा करते हैं, या ....% सालाना की ब्याज दर से प्राप्त मूल्य के लिए ☒ मासिक आधार की गणना के साथ देने का आदेश देते हैं। भुगतान और टिप्पणी–लेखन और टिप्पणी के विरोध के लिए प्रस्तुतीकरण एतद् द्वारा बिना शर्त और पूरी तरह माफ कर रहे हैं।

जहां एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हैं तो प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का दायित्व संयुक्त और विविध होगा।

ऋणी का नाम ______________________________	यहां 1/– रुपए की रसीदी टिकट लगाएं (x) ऋणी
सह–ऋणी का नाम ______________________________	यहां 1/– रुपए की रसीदी टिकट लगाएं (x) सह–ऋणी
सह–ऋणी का नाम ______________________________	यहां 1/– रुपए की रसीदी टिकट लगाएं (x) सह–ऋणी
सह–ऋणी का नाम ______________________________	यहां 1/– रुपए की रसीदी टिकट लगाएं (x) सह–ऋणी

(नोट–(x) हस्ताक्षर रसीदी टिकट की चौड़ाई के अनुसार होना चाहिए)

ऋण राशि के संवितरण के लिए अनुदेश

तारीख:

सेवा में
फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

विषय:संवितरण के लिए प्राधिकृत

श्रीमान,

.... के लिए ऋण सुविधा के अनुदान के लिए आवेदन देखें। कृपया उल्लेखित नाम और ढंग में ऋण संवितरण का चैक तैयार करें।

आदाता का नाम	राशि (रूपए)

☒

उक्त आदाता के पक्ष में ऋण राशि संवितरण ऋण सुविधा के संबंध में मेरे/हमारे दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

उक्त आदाता के पक्ष में ऋण का संवितरण मेरे/हमारे द्वारा ऋण देना और लाभ उठाना समझा जाएगा।

धन्यवाद

ऋणी का नाम: .... (हस्ताक्षर) ☒

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए)

....

सह–ऋणी का नाम: .... (हस्ताक्षर) ☒

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए)

....

पुष्टीकरण

मैं/हम मेरे/हमारे लिए ऋण राशि के वितरण के लिए निम्नलिखित विवरण का चेक प्राप्त करना स्वीकार करते हैं।

चेक सं.	राशि	तिथि	बैंक का नाम	पक्ष में

☒

धन्यवाद

ऋणी का नाम: .... (हस्ताक्षर) ☒

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए)

....

सह–ऋणी का नाम: .... (हस्ताक्षर) ☒

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्वामित्व, साझेदारी और कंपनियों के लिए)

....

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा ऋण संवितरण के लिए आवेदन फार्म

तारीख: [   ]

सेवा में
फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
____
____
____

विषय: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा ऋण का संवितरण

सन्दर्भ: ऋण आवेदन सन्दर्भ संख्या.   :[   ]
ऋण खाता संख्या   :[   ]

श्रीमान,

मेरे/हमारे ऋण आवेदन के संदर्भ में, मैं/हम बिना शर्त फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (FICCL) को________________/- (रूपए ______________________________________केवल) की स्वीकृत ऋण राशि की सीधी छूट देने का निर्देश देता हूँ (पूर्व ईएमआई ब्याज, दस्तावेज़ों के शुल्क और निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती के बाद:–

लाभार्थी का विवरण

लाभार्थी के बैंक का नाम	:	
लाभार्थी के बैंक खाते का नाम	:	
लाभार्थी का बैंक खाता #	:	
लाभार्थी का बैंक खाता प्रकार	:	☐ बचत ☐ चालू ☐ नकद क्रेडिट
लाभार्थी का बैंक भुगतान योग्य स्थान	:	
लाभार्थी का बैंक शाखा आईएफएससी कोड	:	
एमआईसीआर कोड	:	
प्रेषित राशि	:	

☒

मैं/हम घोषणा करते हैं कि:

- ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे सबसे अच्छे ज्ञान के अनुसार सच, सही और पूर्ण हैं। मैं/हम भुगतान अनुदेश में दिए गए विवरण की सटीकता के लिए जिम्मेदार होंगे।
- अगर FICCL इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए अच्छे विश्वास और अनुपालन में भुगतान के निर्देश में अनुदेश निष्पादित करता है, तो
- मैं/हम, FICCL द्वारा निष्पादित किसी भी भुगतान के निर्देश से बाध्य होंगे। उक्त दिए गए लाभार्थी के पक्ष में ऋण का संवितरण मेरे/हमारे द्वारा ऋण दिया और लाभ उठाया समझा। उक्त दिए गए लाभार्थी आदाता के पक्ष में ऋण का संवितरण ऋण सुविधा के संबंध में मेरे/हमारे दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।
- फुलरटन भारत अधूरी जानकारी, प्रसारण में देरी, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के वितरण या गैर वितरण या किसी भी गलती, प्रसारण में चूक या त्रुटि या वितरण या नियंत्रण से बाहर किसी भी कार्य या घटना के से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऊपर उल्लेखित होते हुए भी, फंड ट्रांसफर में देरी होने या FICCL की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण भुगतान के निर्देश अनुसार फंड ट्रांसफर करने में त्रुटी के कारण किसी हानि की स्थिति में, भुगतान में देरी की स्थिति में FICCL का दायित्व देरी की अवधि तक बैंक दर से ब्याज के भुगतान की हद तक सीमित होगा।
- FICCL इस आवेदन फार्म में मेरे/हमारे द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण गलत लाभार्थी को गैर क्रेडिट या प्रेषण राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- लाभार्थी बैंक आवक विप्रेषण पर खर्चे लेवी और उसी को ही प्रेषित राशि से घटा सकता है।

मैं समझता हूँ कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ('एनईएफटी') निर्देश अटल हैं और एनईएफटी के माध्यम से भेजे जाने वाले धन के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश देने के लिए कोई सुविधा नहीं है।

धन्यवाद.

आपका विश्वासपात्र

ऋणी और सह–ऋणी का नाम		हस्ताक्षर
नाम:		.... ☒ (हस्ताक्षर)
नाम:		.... ☒ (हस्ताक्षर)

सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

कृपया हस्ताक्षर करने से पहले ध्यानपूर्वक पें

स्वीकृति फॉर्म

तिथि: [ ]

मैं/हम आवेदन संख्या .... और फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (FICCL) के पक्ष में मेरे/हमारे द्वारा क्रियान्वत किए गए ऋण करार दिनांकित .... को संदर्भित करते हैं। मुझे/हमें निम्न जानकारी प्रदान की गई है और इससे सहमत हैं और तदनुसार उक्त करार को भरा है:

ऋण राशि	:	रूपए	☒
घटते शेष पर ब्याज दर (% वार्षिक)	:		
संबंधित स्थायी ब्याज दर (% वार्षिक)*	:		
माह में ऋण की अवधि	:		
मासिक किश्त की राशि (ईएमआई)	:	रूपए	
कुल शुल्क (ऋण दस्तावेज़ शुल्क, पूर्व किश्त सहित यदि कोई हो)	:	रूपए	
बीमा प्रीमियम शुल्क	:	रूपए	
आईएचओ शुल्क	:	रूपए	

*मैं/हम जानते हैं कि उक्त उल्लेखित स्थायी ब्याज दर केवल उदाहरण उद्देश्य के लिए है, और ब्याज मासिकरेस्ट के साथ संयोजन में घटते शेष आधार पर ऋण पर लिया जाएगा।

स्थायी दर की गणना निम्न अनुसार की जाती है:

$$\text{ब्याज दर \%} = \frac{(\text{ईएमआई x माह में अवधि})-\text{मूलधन X 100}}{\text{मूलधन x वर्षों में अवधि}}$$

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि:

- उक्त, उक्त ऋण की सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं, और अन्य सभी नियम एवं शर्तें ऋण करार में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।
- मैं/हम इस तथ्य को जानते हैं कि FICCL के लिए किसी भी शुल्क और/या लेवी में बदलाव या ऐसी किसी लेवी के प्रारंभ के लिए अग्रिम या बाद में सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
- FICCL के पास बिनी किसी पूर्व सूचना या उक्त नियम एवं शर्तो में संशोधन के चूक के मामले में सुविधा में जोड़ने, हटाने या वापस लेने का अधिकार होगा और यह मुझ/हम पर बाध्यकारी होगा।
- संचार पते में किसी भी बदलाव के मामले में, मेरे/हमारे काम, पेशे में किसी भी परिवर्तन के लिए, इसके बारे मैं/हम FICCL को एक माह अग्रिम में सूचित करेंगे।

ऋणी का नाम : .... ☒

हस्ताक्षर : .... ☒

- यदि खली हो, तो कृपया उक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर ना करें।
- यदि आप से कोई ऋण प्रसंस्करण के लिए पैसे मांगता है तो कृपया कोई भी नकदी किसी को ना दें। कृपया मना कर दें और अपनी निकटम FICCL शाखा से संपर्क करें।